न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 47/2013

1. श्री दयाल पुत्र सवाई जाति माली निवासी सरवाड़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

—प्रार्थी

बनाम

2. श्री मंगल पुत्र भैरू
3. श्री जंगल पुत्र भैरू
4. श्रीमती हगामी पुत्री जेठा
   समस्त जातिगण माली निवासी सरवाड़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ एवं उपपंजीयक महोदय, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील 1. श्री दौलत सिंह राठौड़, प्रार्थी।
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, अप्रार्थी सं. 1—3

निर्णय दिनांकः— 24.01.2020

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। वर्णित आराजी मौजा ग्राम सरवाड़ तहसील सरवाड़ में स्थित है जिसक विवरण निम्न प्रकार से है।

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म
328	1888/1	04—07—00	चाही.3

यह कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 एक परिवार के सदस्य है जिनका पारिवारिक सजना निम्न प्रकार हैः—

नन्दा (फौत)
देवा (पुत्र) — जेठा
भैरू (पुत्र) (फौत) — हगामी (पुत्री)
मंगल — जंगल

यह कि उक्त वर्णित आराजीयात में से प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.04.1972 को अप्रार्थी सं. 1 व 2 के दादा देवा पुत्र नन्दा माली से संपूर्ण प्रतिफल अदा कर, क्रय कर उक्त वर्णित आराजीयात में से 02—00—00 बीघा भूमि का विक्रय पत्र नियमानुसार तहसील एवं उपपंजीयक अप्रार्थी सं. 4 के कार्यालय में से पंजीबद्ध करवाया गया। यह कि इमरोज क्रय दिनांक से उक्त वर्णित आराजीयात में से 02—00—00 बीघा आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त, आधिपत्य निरन्तर एवं निर्बाध रूप से चला आ रहा है। यह कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 द्वारा दिनांक 30.05.2013 को जब प्रार्थी अपने खेत पर हकाई करने हेतु गया तो अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 ने उक्त वर्णित आराजीयात को हकाई करने से मना कर दिया एवं हकाई में बाधा उत्पन्न की एवं ऐलानियां धमकी दी कि उक्त वर्णित आराजीयात हम अप्रार्थीगणों के नाम है एवं उक्त आराजीयात को हम अन्य दीगर व्यक्तियों को विक्रय हस्तांतरण कर देगें। यह कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 द्वारा धमकी देने के पश्चात प्रार्थी द्वारा तहसील में जाकर रिकॉर्ड के बारे में मालुमात की तब प्रार्थी को पता चला कि उक्त वर्णित संयुक्त पैतृक आराजीयात अप्रार्थीगणों

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

के नाम है इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक एवं लाजमी हुआ। यह कि उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 अपने हिस्से के अनुसार काश्त कर अपनी उपज प्राप्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 के संयुक्त रूप से कब्जे काश्त , उपयोग–उपभोग में चली आ रही है। प्रार्थी अपनी क्रयशुदा आराजी का राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार खातेदार काश्तकार है एवं घोषित होने के अधिकारी है। यह कि प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के बारे में मालुमात की तो पता चला कि प्रार्थी की क्रयशुदा आराजीयात का विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही करने का निवेदन किया तो प्रकरण पुराना होने का बहाना कर राजस्व न्यायालय द्वारा आदेश लाने बाबत् कहा गया जिससे प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। यह कि प्रार्थी ने प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 को दिनांक 03.06.2013 को मौखिक रूप से सूचित कर स्वंय के हिस्से की सम्पति का विभाजन कर दिये जाने की मांग की एवं कब्जेकाश्त में दखल न दिये जाने का निवेदन किया तो वे नहीं माने व वाद वर्णित भूमि बाबत् नाजायज तरीके अपनाकर अपने नाम दर्ज कराकर दीगर को रहन, बेय, हस्तांतरित इत्यादि करने पर तुले है जिससे उन्हें न्यायहित में मूल वाद के निस्तारण तक जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है। यह कि वाद वर्णित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 3 खातेदार काश्तकार है एवं घोषित होने के अधिकारी है तथा पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद रहने से एवं वादी अपने हिस्से की भूमि की राजस्व नक्शा ट्रेस में तरकियात करने में व्यवधान महसूस कर रहे है। प्रार्थी को उक्त भूमि का विभाजन कराकर मौके पर बंटवारा किया जाकर भौतिक रूप से संभलाया जाना आवश्यक है तथा राजस्व अभिलेख, जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में इसी अनुसार दर्ज किया जाना आवश्यक है। यह कि यदि अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 अगर अपने उद्देश्य में सफल हो जाते है तो उससे प्रार्थी को अजहद क्षति का सामना करना पड़ेगा जिसका मूल्यांकन मुद्रा में नहीं आका जा सकेगा।

प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए:–

प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम सरवाड़ संवत् 2023–2026

प्रतिलिपी क्रय पत्र दिनांक 18.04.1972

अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से बहस एकपक्षीय सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं बहस के तथ्यों पर गहन विधिक मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर जमाबंदी ग्राम सरवाड़ संवत् 2023–2026 प्रस्तुत की गई। जिसके अनुसार विवादित आराजी जेठा, देवा पि. नंदा माली के खाते में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा वर्तमान जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्षमें सिद्ध करने में असफल रहे है एवं ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जो विवादित आराजी की वर्तमान स्थिति अथवा प्रार्थी के कब्जे को सिद्ध कर सके। अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होती है।

प्रार्थी या अप्रार्थी के विवादित आराजी या उसके हिस्से पर क्या हक अख्त्यार है या होने चाहिए इसका विनिश्चय मूलवाद पर सम्यक साक्ष्योपरान्त तथा सम्यक विचारण उपरांत

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

विधि अनुसार मेरिट पर होना है न कि प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र या अप्रार्थी के प्रस्तुत जवाब पर।

चूंकि प्रार्थी अपने पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा बावत् सिद्ध करने में असफल रहा है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद तामील तकमील व तरमीम नंबर से कम की जावे तथा निर्णित में गणना की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सरवाड (अजमेर)

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.02.12 14:25:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: